

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

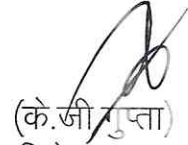
क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/(289/92)कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2023/403

दिनांक:- 10-3-2023

शुद्धि आदेश

विभागीय सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 618/2022-23 दिनांक 24.08.2022 में क्र.संख्या 01 पर अवस्थित श्री मेवाराम बुगालिया, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नं. 3426) के सम्मुख अंकित विशेष विवरण के कॉलम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय में प्रकरण लंबित है, के स्थान पर पुलिस में दर्ज प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं, पढ़ा जावें।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।



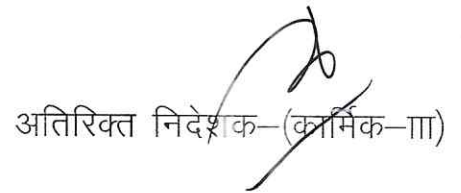
(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक-(कार्मिक-III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/(289/92)कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2023/403

दिनांक:- 10-3-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावें ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कनि0 लेखाकारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II/कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
9. डीपीसी अनुभाग/जांच अनुभाग/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक-(कार्मिक-III)